डॉ. बालवंत सिंह

बनाम

पुलिस आयुक्त एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 10024/2014)

07 नवंबर 2014

[फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे।]

अपकृत्य - न्यूसेंस - मानवाधिकार आयोग को शिकायत - शिकायतकर्ता के स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार में हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये राज्य को निर्देश - निर्देशों के बावजूद, शिकायतकर्ता के घर पर हमला - रिट याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा इसके मद्धेनजर निस्तारित विवाद को निपटाने के लिये राज्य द्वारा आश्वासन - अपील पर अवधारित किया : अपीलकर्ता के घर में शांतिपूर्ण रहने में पुलिस/राज्य अधिकारियों/बडे पैमाने पर लोगों द्वारा पैदा की गई अशांति अनुच्छेद 21 के तहत् गारंटीकृत उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिसका अनुपालन करने के लिये राज्य को निर्देश दिया गया है - ध्वनि प्रदूषण मामले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये अक्षरशः जारी किए गए - राज्य को इसके द्वारा सुझाए गए उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया - भारत का संविधान, 1950, अनु. 21

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया कि :

1. अपकृत्य के कानून में मान्यता प्राप्त किसी भी रूप में न्यूसेंस, चाहे वह निजी, सार्वजनिक या सामान्य हो, जिसमें परिणामस्वरूप किसी के व्यक्तिगत या / और सम्पत्ति के अधिकार प्रभावित होते है, उसे कारवाई का कारण / कानून के विरूद्ध अदालत में उपचारात्मक उपाय खोजने का अधिकार देता है। जिन लोगों ने उसके साथ इस तरह का न्यूसेंस किया और उन्हें न्यूसेंस करने से रोकने और ऐसे न्यूसेंस के कारण होने वाले नुकसान के लिये उचित क्षति/मुआवजा दोनों के रूप में आवश्यक राहत प्राप्त करने का अधिकार देता है। [पैरा-21] [132 बी सी]

रतन लाल धीरजलाल - लॉ ऑफ टॉर्ट्स द्वारा जी.पी. सिंह - 26 वां संस्करण पृष्ठ 621, 637, 640 संदर्भित।

2.1 ‘‘ध्वनि प्रदूषण मामले में न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुये यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विभिन्न उपकरणों/वस्तुओं/गतिविधियों के उपयोग के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कई नियमों/विनियमों में निर्दिष्ट तरीकों और प्रकारों का सहारा लेकर रोका और नियंत्रित किया जाना चाहिये। एक बार जब यह न्यायालय किसी प्रश्न पर निर्णय लेता है और कानून घोषित करता है और आवश्यक निर्देश जारी करता है तो यह सभी संबंधितों का कर्तव्य है कि वे निर्धारित

कानून का पालन करें और अनुच्छेद 141 में निहित जनादेश के आधार पर जारी किये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालना करे। [पैरा 24 और 26] [133-ए-बी; 136-जी]

2.2 इसलिये प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे "ध्वनि प्रदूषण मामले" में फैसले के पैरा 174 से 178 में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये, राज्य और उनके संबंधित विभाग द्वारा जो भी उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को रोकने/जांचने के लिये जल्द से जल्द कदम उठाया जाना चाहिए। [पैरा 28] [137-बी.सी.]

*ध्वनि प्रदूषण (v) लाउडस्पीकरों और उच्च मात्रा में उत्पादन करने वाले ध्वनि प्रणालियों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिये कानूनों के पुनः कार्यान्वयन में 2005(1) सप्लिमेंट एस सी आर 624: (2005)5 एस सी सी 733- पर भरोसा किया गया।

3.1 जहां तक अपीलकर्ता के शांतिपूर्ण घर में पुलिस/राज्य अधिकारियों/लोगों द्वारा बडे पैमाने पर पैदा की गई अशांति का सवाल है, तो इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत् गारंटीकृत अपीलकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। [पैरा 29] [137-डी]

* ध्वनि प्रदूषण (v) लाउडस्पीकरों के उपयोग और उच्च ध्वनि उत्पादन को बढाने वाले साउंड सिस्टम प्रतिबंधित करने के लिये कानूनों में पुनः कार्यान्वयन 2005(1) पूरक एस सी आर 624 ;

(2005)5 एस सी सी 733, रामलीला मैदान मामला 2012(4) एस सी आर 971 ; (2012)5 एस सी सी 1 - पर भरोसा किया।

3.2 संविधान, अन्य बातों के अलावा, राज्य और उनके अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि संविधान के तहत् प्रत्येक नागरिक को दिए गए प्रदत्त अधिकारों का सम्मान और संरक्षण किया जाए, और उसे उचित शर्तोे के अधीन अक्षरशः उनका आनंद लेने की अनुमति दी जाए। उन पर प्रतिबंध लगाए गए, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था। जब साथी नागरिकों या किसी राज्य एजेंसी द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो नागरिक के कहने पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यदि राज्य द्वारा सुझाए गए कदमों को अक्षरशः लागू किया जाता है और समय समय पर राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, तो वर्तमान में अपीलकर्ता और उसके जैसे कई अन्य लोगों द्वारा सामना की जाने वाली अधिकांश समस्याएं संबंधित क्षेत्र में काफी हद तक कमी आएगी। तदनुसार, प्रत्यर्थियों को शर्तो/कदमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है और इसका अनुपालन सुनिश्चित

करते समय, यदि प्रत्यर्थियों को लगता है कि बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में, व्यापक हित में ऐसा ही किया जाएगा। संबंधित क्षेत्र के निवासियों के लिये और राज्य के विभिन्न हिस्सों में निवासियों के लाभ के लिये समान रूप से।

फर्म कालूराम सीताराम बनाम डोमेनियन ऑफ इंडिया ए.आई.आर. 1954 बांम्बे 50 – संदर्भित। केस कानून संदर्भ

2005(1) पूरक एस सी आर 624 पर भरोसा किया पैरा 27 और 29

2012(4) एस सी आर 971 पर भरोसा किया पैरा 29

ए आई आर 1954 बांम्बे 50 का हवाला दिया 31

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 10024/2014

21/05/2013 के राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के न्याय निर्णय और आदेश डी.बी. सिविल विशेष याचिका (रिट) सं. - 378/2013 से उत्पन्न।

वी. शिवसुब्रमण्यन, मोहन कुमार - अपीलार्थी की ओर से।

राजीव कुमार सिंह, रूचि कोहली - प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय अभय मनोहर सप्रे जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील दिनांक 21/05/2013 को राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ की खण्डपीठ के द्वारा पारित डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) सं.-378/2013 में एक आदेश से उत्पन्न होती है, जो कि दिनांक 25/02/2013 को विद्वान एक न्यायाधीश के द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका सं.-2273/2013 में दिये गये आदेश से उत्पन्न हुई थी।

3. आक्षेपित आदेश के द्वारा, खण्डपीठ ने रिट याचिका/अपील में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद को निपटाने के लिये राज्य द्वारा दिए गए आश्वासन के प्रकाश में अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील का निपटारा कर दिया।

4. आक्षेपित आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दायर की है।

5. इस न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी किया। तामील होने पर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थियों की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

7. इस अपील में शामिल मुद्दे की सराहना करने के लिये तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है।

8. अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) जयपुर (राजस्थान) का निवासी है। वह मार्च 1995 में पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ।

सेवानिवृत्ति के बाद बसने के लिये, अपीलकर्ता ने जयपुर शहर के ज्योति नगर में विद्युत भवन के सामने एक आवासीय कॉलोनी में अपना घर बनाया। इलाका और, विशेष रूप से, अपीलकर्ता के घर का स्थान ''विधानसभा'' (राज्य विधानसभा भवन) के बहुत करीब है।

9. अपने दुर्भाग्य से अपीलकर्ता ने देखा कि बहुत बार, राजनीतिक/गैर-राजनीतिक दलों के हजारों/सैकड़ों लोग विधान सभा की ओर जाने वाली सड़क पर, जो उनके घर के सामने है, उत्तेजित मनोदशा के साथ इकट्ठा होते थे और अपना 'विरोध प्रदर्शन' करते थे। अपनी शिकायतों को दूर करने के लिये ''विरोध मार्च' या ''धरना' या ''जुलुस''। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर अस्थायी मंच बनाकर अंधाधुंध लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करते थे और दिन भर एक के बाद एक भाषण देते रहते थे जो कभी कभी समय की परवाह किए बिना अनिश्चित काल तक जारी रहता था। चूंकि वहां हजारों/सैकड़ों लोगों का जमावडा होता था, इसलिये प्रदर्शनकारी किसी भी समय खुद को आराम देने के लिये अपीलकर्ता के घर सहित आस-पास के घरों की परिसर की दीवारों का अंधाधुंध प्रयोग करते थे।

10. ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिये, राज्य और पुलिस प्रशासन बैरिकेड्स लगाते थे और सैकडों पुलिस कर्मियों को तैनात करते थे ताकि कोई अप्रिय घटना

ना हो। ये बैरिकेड्स अपीलकर्ता के घर सहित निवासियों के घरों के गेट के ठीक सामने लगाए जाते थे। अन्य लोगों की तरह पुलिस कर्मी भी अपीलकर्ता के घर सहित आवासीय घरों की दीवारों का उपयोग आसानी से करने के लिये करते थे और कोई भी उन्हें यह कहने की स्थिति में नहीं था कि वे अपने घरों के सामने ऐसी गतिविधियां ना करें। अपीलकर्ता ने यह भी देखा कि इन गतिविधियों ने काफी गति पकड़ ली है, जिससे उस क्षेत्र के निवासियों का जीवन दूभर हो गया है क्योंकि लगातार ध्वनि प्रदूषण के कारण ना तो वो घर के अंदर आराम और शांति से रहने या कोई काम करने की स्थिति में थे और ना ही असुरक्षा के लगातार डर और राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की स्थिति में थे।

11. अपीलकर्ता सबसे अधिक प्रभावित व्यक्तियों में से एक था, जिसका इन गतिविधियों के कारण अपने घर में रहना असंभव हो गया था और समस्या का कोई समाधान नहीं मिलने पर, उसे पहले पुलिस आयुक्त के पास जाने और मौखिक शिकायत करने के लिये मजबूर होना पड़ा, लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई, जिस पर उसने 21/11/2011 को लिखित शिकायत दर्ज की। (अनुलग्नक पी-1)

12. शिकायत में, अपीलकर्ता ने उपरोक्त शिकायतों को विस्तार से बताया और पुलिस आयुक्त से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये तत्काल प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया।

13. चूंकि पुलिस आयुक्त ने शिकायत पर कोई कारवाई नहीं की, इसलिये अपीलकर्ता ने 06/03/2012 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) नई दिल्ली के समक्ष मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 2005 (इसके बाद इसे ''अधिनियम'' के रूप में कहा गया है) के प्रावधानों के तहत् शिकायत दर्ज की। एन.एच.आर.सी. ने विधि के अनुसार उचित कारवाई करने के लिये अपीलकर्ता की शिकायत को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (आर.एस.एच.आर.सी.) को भेज दिया। शिकायत प्राप्त होने पर, आर.एस.एच.आर.सी. ने इसे याचिका सं. 12/17/1720 के रूप में पंजीकृत किया और दिनांक 24/09/2012 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे संबंधित अधिकारियों को हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से रोकने का आदेश दें। इसमें अपीलकर्ता को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जीने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि :

''1. विधानसभा सत्र के दौरान् याचिकाकर्ता के घर के सामने दोनों सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा ना हों।

2. प्रदर्शनकारियों को दिन और रात के दौरान् उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

3. यातायात रोकने के बाद सड़क को बंद नहीं किया जावें और यातायात की आवाजाही निरंतर और व्यवस्थित तरीके से बनी रहे।

4. विधानसभा सत्र के दौरान् पुलिसकर्मियों को विधायक परिसर की ओर से याचिकाकर्ता के घर की दिवार के पास पेशाब करने से रोका जावें।

5. याचिकाकर्ता के घर के सामने और आसपास की सड़क पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की जावें।

14. उपरोक्त निर्देश जारी होने के बावजूद, राज्य ने इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया और दूसरी ओर, कुछ उपद्रवियों ने अपीलकर्ता के घर पर हमला किया और इसलिये घृणा से, अपीलकर्ता को एस.बी. सिविल रिट याचिका दायर करने के लिये मजबूर होना पड़ा। 2013 में जयपुर में राज. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष, अपीलकर्ता के हितों, उसकी सम्पत्ति और उसके शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा के लिये राज्य और उसके अधिकारियों के विरूद्ध निषेधाज्ञा/परमादेश जारी करके उचित राहत की मांग की गई।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 25/02/2013 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता की रिट याचिका का निपटारा यह कहते हुये किया कि

चूंकि राज्य ने आर.एस.एच.आर.सी. द्वारा दिनांक 24/09/2012 के आदेश में दिये गये निर्देशों के प्रकाश में पहले ही सभी आवश्यक कदम उठा लिये है और इसलिये अब रिट याचिका में और आदेश नहीं मांगे गए है।

16. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेशा के अंतिम भाग में निम्नानुसार कहा :

> ".. मेरा सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतों पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही अपनी शक्तियों के भीतर सभी आवश्यक कारवाई कर ली है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ता अपने घर में शांति से रह रहा है। विधानसभा के नजदीक ज्योति नगर इलाके में आवासीय घर को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया गया है। यह उम्मीद की जाएगी कि अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलों में बताए गए उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा।"

17. अपीलकर्ता ने व्यथित महसूस करते हुए, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिसमें से यह अपील उत्पन्न हुई। खण्डपीठ ने, आक्षेपित आदेश द्वारा, कमोबेश उसी तर्ज पर,

जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का निपटारा किया था, अपीलकर्ता की अपील पर फैसला किया।

18. खण्डपीठ ने अपने आदेश के अंतिम भाग में निम्नानुसार कहा:

> ''राज्य सरकार की ओर से दिये गये उस आश्वासन के मद्धेनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके है कि मानवाधिकार आयोग, राजस्थान द्वारा अपने आदेश दिनांक 24/09/2012 में जारी निर्देशों का काफी हद तक अनुपालन किया गया है। इस स्तर पर, इस न्यायालय की खण्डपीठ अपील में आगे कोई निर्देश नहीं दे सकती। राज्य सरकार भी स्पष्ट रूप से ऐसे आदेश का पालन करेगी और एकल पीठ के समक्ष दिये गये आश्वासन के अनुरूप कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान रखेगी कि विधानसभा के निकट ज्योति नगर इलाके में अपने आवासीय घर में रहने वाले याचिकाकर्ता की शांति बनी रहे। अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जावे।''

यह अपील, अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) ने खण्डपीठ के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध पेश की है।

19. प्रत्यर्थियों ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है। राज्य ने हलफनामें में कहा है कि यह सुनिश्चित करना उनका कर्त्तव्य है कि किसी

अन्य व्यक्ति की किसी भी कारवाई और गतिविधियों के कारण किसी भी नागरिक के जीवन और सम्पत्ति को कोई नुकसान, चोट, क्षति या असुविधा/उपद्रव ना हो। या/और राज्य प्राधिकरण और प्रत्येक नागरिक को कानून में गारंटी और मान्यता प्राप्त सभी व्यक्तिगत/मौलिक/सम्पत्ति अधिकारों की रक्षा की जाती है ताकि वह सम्मान और शांति के साथ एक सार्थक जीवन जी सकें और अपनी सम्पत्ति का आनंद भी ले सके। आगे कहा गया है कि आर.एस.एच.आर.सी. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, राज्य ने इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी किये हैं जो निम्नानुसार है :-

क. याचिकाकर्ता के आवास और उसके आसपास कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये पुलिस उप-आयुक्त को क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किया गया है।

ख. याचिकाकर्ता के आवास से उचित दूरी पर बैरिकेडिंग की जाए ताकि निवासियों के साथ-साथ याचिकाकर्ता की आवाजाही भी प्रतिबंधित ना हो और विशेष रूप से प्रदर्शन के कारण भी। जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो याचिकाकर्ता के आवास से कम से कम 60 फीट की दूरी पर बैरिकेडिंग की जाये।

ग. राजस्थान नगर निगम द्वारा संबंधित क्षेत्र में मोबाईल सार्वजनिक शौचालय (दो वाहन) रखे जाये ताकि नियमित प्रदर्शन से प्रभावित क्षेत्र में

और उसके आसपास स्वच्छता बनी रहें। इसके अलावा सभी सावधानियां बरती जावे ताकि जनता ऐसी सुविधाओं का उपयोग करती है और ना तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और ना ही कोई प्रदर्शनकारी पेशाब करके याचिकाकर्ता की दीवारों को खराब करें।

घ. पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण) के कार्यालय द्वारा प्रदर्शनकारियों को नियमों के अनुसार पूर्व अनुमति दी जाती है तो और जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया है कि प्रदर्शन की अनुमति देते समय यह भी जांच की जाए कि किसी ऐसे उपकरण की अनुमति नहीं दी जावे जिससे ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन ना होता हो।

20. इस पृष्ठभूमि में, यह प्रश्न उठता है कि क्या अब तक जारी निर्देशों में किसी और संशोधन की आवश्यकता है और यदि हां, तो किस हद तक

21. न्यूसेंस पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है। अपकृत्य कानून में मान्यता प्राप्त किसी भी रूप में न्यूसेंस - चाहे वह निजी, सार्वजनिक या सामान्य हो, जिसके परिणामस्वरूप किसी के व्यक्तिगत या/और सम्पत्ति के अधिकार प्रभावित होते है, उसे कारवाई का कारण/उन लोगों के विरूद्ध कानून की अदालत में उपचारात्मक उपायों की मांग करने का अधिकार देता है, जिन्होने ऐसा किया है। इससे उसे न्यूसेंस करने से रोकने और ऐसे

न्यूसेंस के कारण यदि उसे कोई नुकसान हुआ हो तो उसके लिये उचित क्षति/मुआवजा दोनों के रूप में आवश्यक राहत प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। (देखें - रतनलाल धीरजलाल - जी.पी. सिंह द्वारा लिखत लॉ ऑफ टॉर्ट्स-26 वां संस्करण पृष्ठ-621, 637, 640)।

22. इस स्तर पर हम ध्वनि प्रदूषण (5) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर ध्यान देना उचित समझ सकते है, लाउडस्पीकरों और उच्च मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करने वाले ध्वनि प्रणालियों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिये कानूनों के पुनः कार्यान्वयन में, (2005)5 SCC 733, जैसा कि हमारे सुविचारित मत है, इसका उस मुद्दे पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है, जो इस अपील का विषय है।

23. इस न्यायालय ने ''फोरम, पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम'' नामक एक संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करते हुये उपकरणों/वस्तुओं के उपयोग के कारण बडे पैमाने पर लोगों को होने वाले ध्वनि प्रदूषण के न्यूसेंस के सम्बन्ध में मुद्दे की जांच करने का अवसर दिया था आदि। ध्वनि प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है, जिससे लोगों में लगातार चिडचिडापन और अशांति पैदा होती है। चूंकि यह पूरे देश में लगातार जारी रहने वाली गलती थी और इसलिए, इस न्यायालय ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1), 21 और 25 के तहत् गारंटीकृत नागरिक अधिकारों के प्रकाश में इस मुद्दे की

विस्तार से जांच की, सपठित प्रदूषण से सम्बन्धित कानून/नियम/विनियम, जिसमें इस मुद्धे को नियंत्रित करने वाले दण्डात्मक कानून भी शामिल है।

24. मुख्य न्यायाधीश आर.सी. लाहोटी (तत्समय न्यायाधिपति) ने आदेश के समापन पैरा में आदेश पारित करते हुये, सभी राज्यों को निर्देश जारी किए और उन्हें यह सुनिश्चित करने का का निर्देश दिया कि विभिन्न उपकरणों/वस्तुओं/गतिविधियों के उपयोग के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश और नियंत्रण किया जाना चाहिए। विषय से सम्बन्धित कई नियमों/विनियमों को निर्दिष्ट तरीकों और तरीकों का सहारा लेना। ये निर्देश यहां नीचे दिये गये है :-

"12. दिशा-निर्देश:

इसके द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:

(i) पटाखें

174.1 दो प्रणालियों की तुलना करने पर, यानी शोर के स्तर के आधार पर पटाखों के मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली, और दूसरी जहां पटाखों का मूल्यांकन रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाएगा, हमें लगता है कि बाद वाली विधि अधिक व्यावहारिक है और भारतीय परिस्थितियों में कार्य किये जाने लायक है। इसका तब तक पालन किया

जाएगा जब तक इसे एक बेहतर प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता।

2. विस्फोटक विभाग (डी.ओ.ई.) इस उद्धेश्य के लिये आवश्यक अनुसंधान गतिविधि करेगा और प्रत्येक प्रकार या श्रेणी या पटाखों के वर्ग के लिये रासायनिक सूत्र लाएगा। डी.ओ.ई. पटाखों के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक रसायन के अनुपात/सरंचना के साथ साथ अधिकतम स्वीकृत वजन को निर्दिष्ट करेगा।

3. विस्फोटक विभाग पटाखों को दो श्रैणियों में बांट सकता है - (i) ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे, और (ii) रंग/रोशनी छोडने वाले पटाखे।

4. रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे फोडने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रंग/रोशनी छोडने वाले पटाखे फोडने पर समय का प्रतिबंध लगाना आवश्यक नहीं है।

5. प्रत्येक निर्माता को प्रत्येक पटाखे के डिब्बे पर उसकी रासायनिक सामग्री का विवरण देना होगा और यह डी.ओ.आई. द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। विवरण का उल्लेख करने में निर्माता की ओर से विफलता के मामले में या ऐसे मामलों में जहां बॉक्स की सामग्री बॉक्स पर बताए गए रासायनिक सूत्रों से मेल नहीं खाती है, तो निर्माता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

6. निर्यात के उद्धेश्य से निम्नलिखित शर्तों के अधीन उच्च शोर स्तर वाले पटाखों का निर्माण किया जा सकता है:- (i) निर्माता को ऐसा करने की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिये जब उसके पास निर्यात ऑर्डर हो, अन्यथा नहीं ; (ii) इन पटाखों का शोर स्तर उस देश में निर्धारित शोर मानकों के अनुरूप होना चाहिये जहां उसे निर्यात आदेश के अनुसार निर्यात किया जाना है ; (iii) इन पटाखों की पैकिंग भारत में बेचे जाने वाले पटाखों से अलग होनी चाहिये। (iv) उन्हें ''भारत में बिक्री के लिये नहीं या ''केवल ए बी देश में निर्यात के लिए'' आदि जैसे कुछ मुद्रित घोषणा पत्र में अंकित करना।

(ii) लाउडस्पीकर

175.1. सार्वजनिक स्थान की सीमा पर शोर का स्तर, जहां लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी अन्य शोर स्त्रोत का उपयोग किया जा रहा है, क्षेत्र के लिये परिवेशीय शोर मानकों से 10 डी बी (ए) या 75 डी बी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए, जो भी कम हो।

2. सार्वजनिक आपात स्थिति को छोडकर कोई भी रात में (रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के बीच) ड्रम या टॉम-टॉम नहीं बजाएगा या तुरही नहीं बजाएगा या कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाएगा या किसी ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग नहीं करेगा।

3. निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली का परिधीय शोर स्तर निजी स्थान की सीमा पर उस क्षेत्र के लिये निर्दिष्ट परिवेशी वायु-गुणवत्ता मानक से 5 डी बी(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) वाहनों का शोर

176. असाधारण परिस्थितियों को छोडकर आवासीय क्षेत्र में रात में (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच) हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

(iv) जागरूकता

177.1. ध्वनि प्रदूषण के खतरनाक प्रभावों के प्रति सामान्य जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। पाठ्यपुस्तकों में उपयुक्त अध्याय जोडे जा सकते है, जो शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों और युवाओं को नागरिक भावना सिखाते है। ध्वनि प्रदूषण के खतरे और इसे रोकने में बच्चों और युवा पीढ़ी की भूमिका को उजागर करने के लिये स्कूलों में विशेष वार्ता और व्याख्यान आयोजित किये जाये। पुलिस और नागरिक प्रशासन को समस्या पर अंकुश लगाने के विभिन्न तरीकों और इस विषय पर कानूनों को समझने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

2. राज्य को इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये। अपनी परियोजनाओं के एक भाग के रूप में ध्वनि प्रदूषण को रोकने में लगे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सर्विस क्लब और सोसायटी को स्थानीय

प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित और सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

3. त्योहारों, आयोजनों और औपचारिक अवसरों पर जहां पटाखों का इस्तेमाल होने की संभावना हो, विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

उपरोक्त दिशानिर्देश संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शाक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए है। ये इस न्यायालय द्वारा संशोधित किए जाने या उचित कानून द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक लागू रहेंगे।

(v) आम तौर पर

178.1. राज्य लाउडस्पीकरों, एम्पलीफायरों और ऐसे अन्य उपकरणों को जब्त करने और अधिग्रहण करने का प्रावधान करेंगे जो अनुमत सीमा से अधिक शोर पैदा करते पाए जाते है।

2. ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 का नियम 3 विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों के शोर के संबंध में परिवेशी वायु-गुणवत्ता मानकों को निर्दिष्ट करने, शोर मानकों के कार्यान्वयन के उद्धेश्य से क्षेत्रों के वर्गीकरण, अधिकारियों को अधिकृत करने का प्रावधान करता है। निर्धारित मानकों का प्रवर्तन और उपलब्धि। केन्द्र सरकार/राज्य सरकारें ऐसे मानक

निर्धारित करने और उन अधिकारियों को सूचित करने के लिये कदम उठायेगी जहां यह पहले से नहीं किया गया है"

25. हम इस बात पर चिंता व्यक्त करते है कि यद्यपि इस न्यायालय द्वारा सभी राज्यों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये 18/07/2005 को उपरोक्त निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इन निर्देशों का कम से कम राजस्थान राज्य द्वारा लागू करने पर ध्यान नहीं दिया गया। वस्तुतः इसका परिणाम यह हुआ कि जहां पर अपीलकर्ता के मामले का संबंध है, जयपुर शहर के निवासियों को उपरोक्त उल्लेखित अन्य विशिष्ट मुद्धों के अलावा ध्वनि प्रदूषण की परेशानी भी झेलनी पड़ी।

26. यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार जब यह न्यायालय किसी प्रश्न पर निर्णय लेता है और कानून घोषित करता है और आवश्यक निर्देश जारी करता है तो यह सभी संबंधितों का कर्तव्य है कि वे निर्धारित कानून का पालन करें और संविधान के अनुच्छेद 141 में निहित जनादेश के आधार पर जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें।

27. हमारे विचार में, ध्वनि प्रदूषण (v), इन रि (उपरोक्त) के मामले में ध्वनि प्रदूषण के मुद्धे पर इस न्यायालय द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा के प्रकाश में, इस न्यायालय के लिये फिर से निपटना आवश्यक नहीं है, केवल इसके अनुपालन के लिये उचित निर्देश जारी करने के अलावा।

28. तदनुसार, हम प्रत्यर्थियों को निर्देश देते है कि वे ध्वनि प्रदूषण (v), इन रि (उपरोक्त) इस न्यायालय के फैसले के पैरा 174 से 178 में निहित निर्देशों की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें, और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये, जो भी उपचारात्मक कदम हो। राज्य और उनके संबंधित विभाग (विभागों) द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को रोकने/जांचने के लिये जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए।

29. अब जहां तक अपीलकर्ता के घर में उसके शांतिपूर्ण जीवन में पुलिस/राज्य अधिकारियों/लोगों द्वारा बडे पैमाने पर पैदा की गई अशांति का सवाल है, हमारे विचार में, वे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अपीलकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है। इस न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण (v), इन रि (उपरोक्त) और साथ ही रामलीला मैदान की घटना रि, (2012)5 एस.सी.सी. 1 में अभिनिर्धारित किया गया। इसलिए, आर.एस.एच.आर.सी. और रिट न्यायालय को अधिनियम के तहत शिकायत पर विचार करना उचित था। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की शिकायत/रिट याचिका का निपटारा करते समय उपर उल्लेखित उचित निर्देश देना उचित है।

30. हालांकि, हम ध्यान देते है कि राज्य ने अपीलकर्ता की शिकायत/रिट याचिका को तकनीकी/कानूनी आधारों पर चुनौती ना देकर अपनी ओर से सही किया था, जिसमें अपीलकर्ता की शिकायत को वास्तविक पाया गया और फिर मामले में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे निपटने के लिये उपचारात्मक सुझाव दिए गए।

31. वास्तव में, यह हमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एम.सी. छागला द्वारा फर्म कालूराम सीताराम बनाम डोमेनियन ऑफ इंडिया, ए.आई.आर. 1954 बॉम्बे 50 में की गई सूक्ष्म अवलोकन की याद दिलाता है। जिसमें एक ओर नागरिक और दूसरी ओर राज्य के बीच मामले का फैसला करते समय, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अपनी विशिष्ट लेखन शैली में राज्य को नागरिकों के प्रति उनके कर्त्तत्य की याद दिलायी। अधिकार योग्यता राज्य और निम्नलिखित टिप्पणियां की -

> "................ हमें अक्सर यह कहने का अवसर मिला है कि जब राज्य किसी नागरिक के साथ व्यवहार करता है तो उसे आम तौर पर तकनीकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और यदि राज्य संतुष्ट है कि नागरिक का मामला उचित है, भले ही कानूनी बचाव उसके लिये खुला हो, इसे एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए, जैसा कि प्रख्यात न्यायधीशों ने कहा है........................।"

32. हम 1954 में फर्म कालूराम सीताराम (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के उपरोक्त कथन से पूरी तरह सहमत है। हमारे विचार में संविधान, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य और उनके अधिकारियों पर एक कर्त्तव्य डालता है। संविधान के तहत प्रदत्त प्रत्येक नागरिक के पोषित अधिकारों का सम्मान और संरक्षण किया जाता है, और उसे उन पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन अक्षरशः उनका आनंद लेने की अनुमति है, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था। जब साथी नागरिकों या किसी राज्य एजेंसी द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो नागरिक के कहने पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

33. हमने राज्य द्वारा उनके जवाबी हलफनामें में सुझाए गए कदमों का अध्ययन किया है, और पाया है कि यदि राज्य द्वारा सुझाए गए कदमों को अक्षरशः लागू किया जाता है और आगे भी राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा समय समय पर उचित परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन किया जाता है।

यदि सुझावों को लागू करते समय किसी अन्य अच्छे सुझाव पर ध्यान दिया जाए, तो संबंधित क्षेत्र में अपीलकर्ता और उसके जैसे कई अन्य लोगों के सामने आने वाली अधिकांश समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी।

34. तदनुसार, हम प्रत्यर्थियों को निर्देश देते है कि ऊपर दिए गए जवाबी हलफनामा के पैरा 5 (ए) से (डी) में उल्लेखित शर्तो/चरणों का सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करें और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करते समय, यदि प्रत्यर्थियों को लगता है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित क्षेत्र के निवासियों के व्यापक हित में और राज्य के विभिन्न हिस्सों के निवासियों के समान लाभ के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि निर्देशों को लागू करते समय इसका उद्धेश्य हमेशा यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि ऊपर बताए अनुसार किसी भी प्रकार के न्यूसेंस से नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पडें।

35. पूर्वगामी चर्चा और ऊपर दिए गए निर्देशों के मद्धेनजर, अपील सफल होती है और आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश ऊपर उल्लेखित सीमा तक संशोधित किया जाता है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

अनुवादकः-सतीश चन्द्र गोदारा

एडीजे-01, जयपुर मेट्रो-II

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सतीश चन्द्र गोदारा (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।